SSR-2017–9

ई–मेल/डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.3(3)(1)रोल/निर्वा/2016/SSR–2017/4433 जयपुर, दिनांक 05.12.2016

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : अर्हता दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम – दिनांक 04 दिसम्बर, 2016 को निर्वाचन विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रमण के क्रम में।

प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 3530 दिनांक 15.09.2016 एवं पत्र क्रमांक 4362 दिनांक 29.11.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्वाचन विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2016 को राज्य के विभिन्न जिलों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केन्द्र पर आयोजित विशेष शिविर में बीएलओ द्वारा किए गए कार्य का पर्यवेक्षण किया गया। इस पर्यवेक्षण के दौरान कुछ मतदान केन्द्रों पर बीएलओ की अनुपस्थिति दर्ज की गई वहीं दूसरी ओर मतदाता सूची की गुणवत्ता को भी गहनता से जॉचा गया। वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2016 को आयोजित विशेष शिविर के दौरान पाई गई कमियों के विषय में विभाग के प्रासंगिक पत्र 4362 दिनांक 29.11.2016 के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए है। विभाग के उक्त दिशा– निर्देशों के पश्चात् भी दिनांक 04 दिसम्बर, 2016 को आयोजित शिविरों में वही कमियॉ पुनः देखने को मिली है।

2. आपको विदित है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बीएलओ द्वारा दिनांक 09.12.2016 तक दावे एवं आपत्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त किए जाएंगे। अतः इन कमियों की पूर्ति हेतु आगामी दिवसों में इस विषय में निम्न प्रकार से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित की जाए।

2.1. **मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना** – मतदान केन्द्रों के भ्रमण के दौरान यह देखने में आया कि ऐसे मतदान केन्द्र जिनकी कि मतदाता सूचियों को पुनर्गठित किया गया है, में यह पाया गया कि परिशिष्ट–2 में मतदान केन्द्रों के विस्तारों में अंकित अनुभाग के अनुसार परिशिष्ट–2.2 में अनुभाग अंकित नहीं है। इसी प्रकार से परिशिष्ट–2.2 में **संबंधित अनुभाग के साथ ग्राम, तहसील, जिले** का नाम अंकित नहीं है, इसी प्रकार से परिशिष्ट–2 में राजस्व ईकाईयों को आदिनांक नहीं किया गया है, जिससे कि कन्ट्रोल टेबल में उक्त सूचना अपडेट नहीं हो पाई है। इस प्रकार की त्रुटियॉ विशेषकर जोधपुर जिले के दौरान पाई गई है।

इस विषय में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठित मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची का परिशिष्ट–2, परिशिष्ट–2.2 में अनुभाग का अंकन सही प्रकार से किया गया है तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) इस आशय का प्रमाण–पत्र सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से प्राप्त कर जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का समग्र रूप से प्रमाण–पत्र अपने हस्ताक्षर से दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 तक विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

2.2 मतदान केन्द्रो के भ्रमण के दौरान यह भी पाया गया है कि मतदान केन्द्रों पर बीएलओ के पास मतदाता सूची की फोटोकॉपी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है जिससे कि मतदाता की फोटो स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) इस विषय में संबंधित फर्म का ध्यान आकर्षित कर मतदाता सूची की फोटोकॉपी की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराएँ। यदि अनुबंधित फर्म द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली फोटोकापी उपलब्ध नहीं कराई गई है तो जिला स्तर पर उनके साथ किए गए अनुबंध के अनुसार उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाए।

3. **बीएलओ/सुपरवाईजर्स की उपस्थिति** – भ्रमण के दौरान यह पाया गया है कि कई मतदान केन्द्रों पर बीएलओ/सुपरवाईजर्स उपस्थित नहीं थे। इस विषय में आपका पुनः ध्यान दिनांक 29.11.2016 के द्वारा दिए गए निर्देशों की ओर आकर्षित किया गया है, इसके पश्चात् भी दिनांक 04 दिसम्बर, 2016 को कई मतदान केन्द्रों पर बीएलओ/सुपरवाईजर्स अनुपस्थित पाए गए।

जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) से इस विषय में अनुरोध है कि वह अनुपस्थित बीएलओ/सुपरवाईजर्स के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर इसकी सूचना भी विभाग को 12 दिसम्बर, 2016 तक विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा जिन मतदान केन्द्रों पर बीएलओ अनुपस्थित थें वहॉ पर अविलम्ब बीएलओ की नियुक्ति कर शेष कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

4. **प्रपत्र 6 में कॉलम संख्या 4 की पूर्ति करवाने बाबत्** – कृपया इस विषय में विभाग के प्रासंगिक पत्रों का अवलोकन करें जिसमें निर्देशित किया गया है कि बीएलओ जब प्ररूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त करते है तो उसमें कॉलम संख्या 4 की पूर्ति आवश्यक रूप से कराए जिससे कि मतदाता सूची में आवेदक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ऐसे मतदाता जिनके द्वारा कि यह घोषणा की गई है कि वह पूर्व में किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत थे का नाम मतदाता सूची से हटाने के विषय में सूचना प्राप्त कर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण

अधिकारी को उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम विलोपित करने हेतु सूची भेजी जा सके।

अतः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं आपत्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् बीएलओ द्वारा रिकॉर्ड जमा करवाने के दौरान यह आवश्यक रूप से देखें कि बीएलओ द्वारा सभी प्ररूप 6 में कॉलम संख्या 4 की यथास्थिति पूर्ति कराई गई है। कॉलम संख्या 4 में जिन मतदाताओं द्वारा पूर्व के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण होने का अंकन किया गया है, उसकी सूची तैयार कर उनके नाम मतदाता सूची से विलोपित करने हेतु संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. **घर–घर जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना** – विभाग में उपलब्ध सूची के अनुसार भ्रमण के दौरान यह भी पाया गया है कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने के आवेदन पत्र काफी संख्या में प्राप्त हुए है।

इस विषय में निर्देशित किया जाता है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बीएलओ को निर्देशित करें कि दिनांक 09.12.2016 तक घर–घर जाकर पात्र व्यक्तियों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करें।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना की जाना सुनिश्तिच करें।

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

कमांक: प.3(3)(1)रोल/निर्वा/2016/SSR–2017/5533 जयपुर, दिनांक 05.12.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त अधिकारीगण , निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।